न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाष विष्नोई, आर.ए.एस.

2025-35RAAJodhpur2025-29RTA223 Malaram ors Vs Suganadevi etc

01. मालाराम पुत्र धीमाराम
02. मंगलाराम पुत्र धीमाराम

सभी जातियान विश्नोई, निवासीगण– कुशलावा, तहसील देचु, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. सुगनादेवी पुत्री धीमाराम पत्नि किशनाराम जाति विश्नोई, निवासी भीमसागर, सामराऊ, तहसील औसियां जिला जोधपुर।
02. ऐलची पुत्री धीमाराम, पत्नि पुनाराम, जाति विश्नोई निवासी सामराऊ तहसील औसिया, जिला जोधपुर।
03. बरजु पुत्री धीमाराम पत्नि मोहनराम, जाति विश्नोई, निवासी भीमसागर सामराऊ, तहसील औसियां जिला जोधपुर।
04. मिरगो पुत्री धीमाराम पत्नि बाबूलाल, जाति विश्नोई, निवासी भीमसागर सामराऊ, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
05. बाधु पुत्री धीमाराम, पत्नि बंशीलाल, जाति विश्नोई, निवासी भाखरी, तहसील औसिंया जिला जोधपुर ।
06. सोमारी पुत्री धीमाराम पत्नि बाबूलाल जाति विश्नोई, निवासी एकलखोरी तहसील औसिंया जिला जोधपुर।
07. भीखाराम पुत्र बगडूराम
08. बचनाराम पुत्र बगडूराम
09. गोमती पत्नि बगडूराम
10. मांगी पुत्री बगडूराम
11. जगमाल पुत्र खींयाराम
12. जोराराम पुत्र खींयाराम
13. भारमल पुत्र खींयाराम
14. सुण्डा पुत्र खींयाराम
15. साजन पुत्र धुडा

16. हरदास पुत्र पुडा

17. हीरा पुत्र धुडा

18. लाधु पुत्र धुडा

19. मांगीलाल पुत्र बनाराम

20. समला पत्नि जगदीश

सभी जातियान विश्नोई, निवासीगण ग्राम कुशलावा तहसील देचू जिला फलोदी।

21. शाखा प्रबन्धक आर एम जीबी बैंक शाखा लोर्डिया तहसील व जिला फलोदी।

22. सरकार जरिए तहसीलदार देचू तहसील देचू जिला फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 जून 2024 सहायक कलक्टर देचू राजस्व मूल वाद संख्या 187/2022 सुगनादेवी व अन्य बनाम मंगलाराम इत्यादि

उपस्थित–

श्री नाहरसिंह सोलंकी, अधिवक्ता–अपीलाण्ट्स
श्री रोषनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
श्री भानु प्रताप, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 से 14, 17 से 19
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 22

नि र्ण य

दिनांक : 01 मई 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर देचू द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 187/2022 अनवान सुगनादेवी व अन्य बनाम मंगलाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 जून 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काष्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 29 जनवरी 2025 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजी ग्राम भैयों की ढाणी, तहसील लोहावट के खेत खसरा संख्या 190 रकबा 5.09 बीघा, खसरा संख्या 200 रकबा 93 बीघा,

खसरा संख्या 217 रकबा 0.17 बीघा, खसरा संख्या 218 रकबा 16.08 बीघा, खसरा संख्या 287 रकबा 31.12 बीघा कुल खसरा 5 कुल रकबा 147.06 बीघा एवं खसरा नंबर 289 रकबा 33.05 बीघा के संबंध धारा 53 एवं 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 10 जून 2024 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दिये गये, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना तथा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही केवल पोस्टल रसीदों के आधार पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है। रेस्पो. संख्या 01 व 02/वादीगण द्वारा जानबुझ कर सभी खसरो में विभाजन नहीं करवा कर केवल खसरा संख्या 200 व 190 में ही अच्छी जमीन एवं सड़क के पास वाली जमीन पर ही बंटवाडा करवाना चाहते है, जिससे अपीलांट्स को अपूरणीय क्षति होगी. परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद में अपीलांट्स को कोई सुनवाई का अवसर नही दिया गया और ना ही कोई जवाब पेश करने का अवसर दिया गया, और उक्त वाद में बिना कोई तनकियात कायम किये सारी कार्यवाही मिलीभगत एवं विधि विरूद्ध तरीको से की गई। अपीलांट्स वादग्रसत भूमि के रेकर्डेड सहखातेदार है एवं उनको भी विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिए था। दौराने बहस वकील अपीलांट्स ने निवेदन किया कि उक्त वाद पत्रावली को न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट में पेश किया गया, जिसमें तारीख पेशी दिनांक 08.02.2022 को अपीलांट्स की अनुपस्थिति बताई गई। तत्पश्चात नवीन उपखण्ड कार्यालय देचू का सृजन हो जाने से उक्त पत्रावली दिनांक 08.06.2022 को उपखण्ड अधिकारी लोहावट से उपखण्ड अधिकारी देचू स्थानान्तरित की गई। स्थानान्तरित मामले में पक्षकारान् को कोई नोटिस नहीं दिया गया, जबकि माननीय राजस्व मण्डल की खण्डपीठ ने 2024 (1) आर. आर. टी. पेज 232 में यह निष्कर्ष प्रतिपादित किया है कि प्रकरण अन्य न्यायालय में अंतरित किए जाने की सूचना पक्षकारान् को दिया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन

निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर विधिवत् नोटिस तामिल करवा कर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से उन्हें एकतरफा निर्णय एवं डिक्री की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। दिनाक 22.01.2025 को वादीगण मौके पर आए एवं ऐलानिया धमकी दी कि हमने एकतरफा बंटवाड़ा करवा लिया है एवं तुम्हें मौके से बेदखल कर देंगे। तब अपीलांट्स ने विचारण न्यायालय में दिनांक 24.01.2025 को आवेदन पेश किया एवं दिनांक 27.01.2025 को प्रमाणित नकल प्राप्त की। अपीलांट्स द्वारा नकल प्राप्ति के एक माह के भीतर–भीतर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर देचू द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 187/2022 अनवान सुगनादेवी व अन्य बनाम मंगलाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 जून 2024 को खारिज फरमाया जावे एवं अपीलांट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने एवं मामला विधिनुसार निस्तारित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये जाने के बावजूद भी वे सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए, तब विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अपीलांट के हिस्से मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपने हक–हिस्से में परिवर्तन बाबत कोई उज्र उठाया गया है। मामले में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होना है। अपीलांट्स के पास विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर

प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रष्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

गुणावगुण पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के अवलोकन पर प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजी ग्राम भैयों की ढाणी, तहसील लोहावट के खेत खसरा संख्या 190 रकबा 5.09 बीघा, खसरा संख्या 200 रकबा 93 बीघा, खसरा संख्या 217 रकबा 0.17 बीघा, खसरा संख्या 218 रकबा 16.08 बीघा, खसरा संख्या 287 रकबा 31.12 बीघा कुल खसरा 5 कुल रकबा 147.06 बीघा एवं खसरा नंबर 289 रकबा 33.05 बीघा में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के जमाबंदी में दर्ज हिस्सेनुसार राजस्थान काष्तकारी अधिनियम(राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने हेतु तहसीलदार देचू को निर्देष दिये गये है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स के वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री से उनके हक–हिस्से में परिवर्तन का कोई उज्र उठाया गया है। जहां तक अपीलांट का मौके की स्थिति को लेकर उज्र है। इस संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावल के अवलोकन से प्रकट होता है कि मामले में विभाजन प्रस्ताव तैयार होना है। अपीलांट के पास विभाजन तैयार के वक्त एवं विचारण न्यायालय के समक्ष विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है। लिहाजा गुणावगुण पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने अदालत हाजा की राय में अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय सहायक कलक्टर देचू द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 187/2022 अनवान सुगनादेवी व अन्य बनाम मंगलाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 10 जून 2024 यथावत रखे जाते है। साथ ही तहसीलदार देचू को निर्देषित किया जाता है कि वह राजस्थान काष्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पालना में स्वयं मौके पर जाकर उभय पक्ष की नोटिस जारी कर उनकी उपस्थिति सुनिष्चित करते हुए नये सिरे से बाई मिट्स एवं बाउण्ड्स विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित करे। विचारण न्यायालय विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित करे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाष विष्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर